न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
23/22	एफएसएस एक्ट, 2006	06/12/2022

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. शरद कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेशचन्द्र गर्ग (विक्रेता) मैसर्स गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्टस् ,कचहरी रोड ,गंगापुर सिटी
2. श्रीमति विजय गर्ग पत्नि श्री केशव कुमार गर्ग जाति महाजन (प्रोपराईटर) फर्म गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्टस् ,कचहरी रोड ,गंगापुर सिटी ।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक— 28.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 22.06.2022 को लगभग 01:30 पीएम पर मैसर्स गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडेक्टस कचहरी रोड गंगापुर सिटी पर पहुँचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्लास्टिक के कैरेट में लगभग 50 किलो पनीर रखा था । गुणवत्ता मे कमी का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच कैरेट में रखे पनीर में से 1 किलो पनीर खरीदरक उसकी कीमत 300/– रू0 विक्रेता श्री शरद कुमार गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री शरद कुमार गर्ग के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान राम हरी गुप्ता एवं शैतान सिंह पुलिस निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम पीनर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीद शुदा पनीर को प्रत्येक बोतल मे बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल मे परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयरटाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2339 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लेपट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2339 नियमानुसार चरो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री शरद कुमार गर्ग (विक्रेता) ने भी पढकर समझकर व सही मानकार हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति श्री शरद कुमार गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिस नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेन के साथ संलग्न है। ... नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर ... अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद ...

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सुनवाई [illegible]

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को [illegible] पत्र क्रमांक / [illegible] / 2022 / 1108 दिनांक [illegible] के [illegible] खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या [illegible] / 2209 / [illegible] / 2022 / 2216 दिनांक [illegible] 2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ [illegible] असमानक प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में [illegible] खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट [illegible] / 2209 / एफ़ / 2022 / 2216 दिनांक 06.07.2022 खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा [illegible] में असमानक प्रकृति का [illegible] 3 (1) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा [illegible] दंडनीय अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिनियम 2006 धारा 51 में [illegible] ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करवाया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अभियुक्तगण को जरिये समन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर [illegible] की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने मौखिक बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में [illegible] कहना कि अभियुक्तगण उक्त परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु [illegible] में [illegible] पनीर रखा हुआ था, सरासर गलत है। अभियुक्तगण पनीर का कोई विक्रय नहीं करते है। [illegible] अभियुक्त को उक्त खरीदशुदा पनीर का भी कोई भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक ने अभियुक्त [illegible] खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये और उनका दुरुपयोग किया गया है। आवेदक द्वारा [illegible] कोई कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष नहीं की गयी है, साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त के प्रति [illegible] अपनाते हुए उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या [illegible] एस / 2209 / एफ़ / 2022 / 2216 दिनांक 06.07.2022 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार [illegible] द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ [illegible] असमानक प्रकृति का पाया गया है। [illegible] अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु निर्धारित [illegible] समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध की [illegible] गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई [illegible] अनियमितता के लिये अभियुक्त को 10,000 (दस हजार) रूपये की आर्थिक शास्ति से [illegible] दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति [illegible] 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला [illegible] मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही [illegible] जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को [illegible] [illegible] या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक [illegible] प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी